

२७४

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

१५०

१०२

जिला ग्वालियर म०प्र०

133
12-3-14



Rs. 20/-

R - १२५२ - ३१५

रामपाल मल्लाह उम्म-७५ साल तब्य स्व० नर्मदा मल्लाह साकिन देवरा
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०निगराकार

बनाम

- ०१- शासक म०प्र० द्वारा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त डाम्हा
तहसील नागौद जिला सतना म०प्र०
 - ०२- रविकुमार तत्कालीन पठवारी हल्का बम्हौर वृत्त डाम्हा, तहसील
नागौद, जिला सतना म०प्र०
 - ०३- गया प्रसाद मल्लाह तब्य रमझ्या मल्लाह
 - ०४- लल्लू मल्लाह तब्य रमझ्या मल्लाह
 - ०५- बब्बू मल्लाह तब्य रमझ्या मल्लाह
 - ०६- शिव प्रसाद मल्लाह तब्य रमझ्या मल्लाह
 - ०७- रामदुलारी मल्लाह बेवा शंकर मल्लाह
 - ०८- शिवप्रसाद मल्लाह तब्य शंकर मल्लाह
 - ०९- गणेशा मल्लाह पिता गौरिया मल्लाह
 - १०- हीरालाल मल्लाह पिता किशोरी मल्लाह
- सभी निवासी देवरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....

गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त
डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म०प्र० के
मामला क्र०-५२३१२/२०११-१२ आदेश

दिनांक २२/०९/२०१२

मान्यवर,

श्री अहिंग धरा ५०८५४१४४४

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि निगराकार आराजी
नं०-७६४/१ग रकवा ०.१९५हे० बाके मौजा बम्हौर, तहसील नागौद,
जिला सतना म०प्र० का भूमिस्वामी काबिजदार है। उक्त आराजी
निगरकार की पुस्तैनी आराजी है जो कि निगरकार एवं उसके भाईयों

क्रमशः.....२

150

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक

R.1242-II/14

जिला भत्तवा

शमपाल उमल्लाह

विरुद्ध शासन, राष्ट्रभारत

3

16-1-19-

1. आवेदक की ओर से श्री अरवलश बगम अधिवक्ता द्वारा
 यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त इम्फातहसील बांगोद के
 प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/2011-12 में पारित
 आदेश दिनांक 22.09.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी
 है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये
 संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50
 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण
 कलेक्टर भत्तवा के न्यायालय को अंतरित किया
 जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को
 कलेक्टर भत्तवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु
 उपस्थित हो।

सदस्य